झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

-: अधिसूचना :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-3596 दिनांक-24.10.2014 द्वारा अधिसूचित एवं अधिसूचना संख्या-483 दिनांक-26.12.2016 द्वारा संशोधित झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती/प्रोनति एवं अन्य सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली-2014 में निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी अनुशंसा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-3849 दिनांक-10.08.2021 द्वारा गठित "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है:-

1. **संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभः**

(1) यह नियमावली "झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021" कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम-2 सेवा का संवर्ग-में निम्नांकित प्रावधान है:-

"सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्राधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इस सेवा के सदस्य होंगे";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"सेवा का संवर्ग-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के नियंत्राधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इस सेवा के सदस्य होंगे।"

3. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम-3 परिभाषाएँ-(ii) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"विभाग से अभिप्रेत है- सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"विभाग से अभिप्रेत है- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची।"

4. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम-9(i) शैक्षणिक योग्यता में निम्नांकित प्रावधान है:-

"मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री।

172
22.02.2022

अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वी0 कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वी0 कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

5. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 15 प्रशिक्षण में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"नियुक्ति की तिथि से अगले 2 (दो) वर्ष के अंदर सहकारी प्रबंधन में उच्चतर पात्रोपाधि (Higher diploma in co-operative management) पाठ्यक्रम के अंतर्गत छह से नौ माह का सवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की योजना एवं पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पैटर्न पर अथवा राज्य सरकार के यथानिर्देशानुसार तैयार की जायेगी।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"नियुक्ति की तिथि से अगले 2 (दो) वर्ष के अंदर सहकारी प्रबंधन में उच्चतर पात्रोपाधि (Higher diploma in co-operative management) पाठ्यक्रम के अंतर्गत छह से नौ माह का सवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उक्त प्रावधान झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) के पूर्व नियुक्त सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगी। प्रशिक्षण की योजना एवं पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पैटर्न पर अथवा राज्य सरकार के यथानिर्देशानुसार तैयार की जायेगी।"

6. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 16 विभागीय परीक्षा में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, लेखा परीक्षा, सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 से संबंधित परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा नियमानुसार उतीर्ण करना अनिवार्य होगा।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा नियमानुसार उतीर्ण करना अनिवार्य होगा।"

7. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 17(ख) सेवा सम्पुष्टि में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"राजभाषा विभाग द्वारा विहित हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण, लेखा एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गयी हो।";

172
22.02.2022

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

"कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण एवं राजस्व पर्षद द्वारा जनजातीय भाषा की परीक्षा नियमानुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।"

8. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 22(iv) में निम्नांकित प्रावधान हैः–

"जिन बिन्दुओं या विषयों का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

"जो विषय अथवा बिन्दु प्रस्तुत नियमावली में वर्णित प्रावधानों से आवृत/आच्छादित नहीं होंगे, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तत्समय एवं तद्विषयक प्रवृत नियम/अनुदेश स्वयमेन प्रभावी/लागू होंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रभावी होगा।"

9. विभागीय अधिसूचना संख्या–3596 दिनांक–24.10.2014 एवं अधिसूचना संख्या–483 दिनांक–26.12.2016 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)–118/2015 सह0...172... **/राँची, दिनांक** ...22.02.2022...

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)–118/2015 सह0...172... **/राँची, दिनांक** ...22.02.2022...

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

18/2/22

ज्ञापांकः–01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)–118/2015 सह0 172 /राँची, दिनांक 22.02.2022

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)–118/2015 सह0 172 /राँची, दिनांक 22.02.2022

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण सहित), सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

E-Mail

E:\S.Murmu\2021-2022\CEO rule 2021\Final CEO Notification & Sanlekh 2021\Notification (CEO rule 2021).docx